

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारगा

लखनऊ, सोमवार, 18 ग्रगस्त, 1975 श्रावण 27, 1897 शंक संवत्

> उत्तर प्रंदेश सरकार विद्यायका ब्रनुभाग-1

संख्या 3121,सत्रह-वि0-1-37-1975 लखनऊ, 18 प्रगस्त, 1975

> श्रधि सूचना विविध

भारत का संविधान" के श्रनुच्छे द 200 के ग्रधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित स्पृक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 ग्रगस्त, 1975 ई0 को प्रिनुमित् प्रदान की श्रौर वह उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 27, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ, इस प्रिमुचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) प्रधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1975) [जैसा उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा पारित हुआ]

ें संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) ग्रिधिनियम, 1945 का निरसन करने तथा परिणामिक उपबन्ध बनाने के लिए

अधि नियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता है :--

ि 1—यह श्रधिनियम संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) श्रधिनियम, संक्षिप्त नाम ¹⁹⁷⁵ कहलायेगा ।

2--(1) संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तया सुधार) ऋधिनियम, 1945, जिसे भ्रागे सन्त अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

संयुक्त प्रान्त ग्रधि-नियम संख्या 5, 1945 का निरसन तथा पारिणामिक उपवन्ध

(2) इस प्रधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से--

(क) उत्तर प्रदेश श्री बंद्रीनाय तथा श्री केंदारनाथ मन्दिर ग्रिधिनियम, 1939 के ग्रधीन संघटित श्री बद्रीनाय तथा श्री केंदारनाय मंदिर समिति (जिसे ग्रागे उत्तत समिति कहा गया है) की उक्त ग्रिधिनियम के श्रधीन समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य नोटीफाइड

(ख) उक्त स्रधिनियम के उपबन्धों के स्रधोन स्रथवा उसके स्रनुसरण में, उक्त सिमिति द्वारा ग्राजित, प्रोद्भुत ग्रथवा उपगत .कोई ग्रधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता ग्रथकी दायित्व नोटीफाइड एरिया कमेटी को ग्रन्तरित हो जायगा ग्रौर ग्रन्तरित हुम्रा समझौ

No. 3121 (2) /XVII-V-1-37-1975

Dated Lucknow, August 18, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanyukta Pranta Badrinath (Swachhata tatha Sudhar); (Nirsan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1975) ar passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 1975:

THE UNITED PROVINCES BADRINATH (SANITATION AND IMPROVEMENT) (REPEAL) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 27 OF 1975) (As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

to repeal the United Provinces Badrinath. (Sanitation and Improvement) Act; 1945 and to make consequential provisions.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

- 1. This Act may be called the United Provinces Badrinath (Sanitation) and Improvement). (Repeal) Act, 1975. (1) The United Provinces Badrinath (Sanitation and Improvement)
- Repeal of U. P. and consequential provisions.
- Act no. V of 1945 Act, 1945, hereinafter referred to as the said Act, is hereby repealed. (2) With effect from the date of commencement of this Act-
 - (a) all powers, functions and duties under the said Act of Shri Badti nath and Shri Kedarnath Temples Committee constituted under the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 (hereinafter called the said Committee) shall stand transferred to and be exercised, performed and discharged by the Notified Area Committee Badrinath Puri (hereinafter called the Notified Area Committee);
 - (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued of incurred by the said Committee under or in pursuance of the provisions of the said Act shall be and be deemed to be transferred to the Notified Area Committee.

ऋाज्ञासे, केल इत्तानाथ गोयल, सचिव ।